आर. एस. मोंगिया और के. सी. गुप्ता जे. जे. के समक्ष

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य- प्रतीयार्थी

2000 का C.W.P. No. 8319-C

4सितंबर, 2000

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भारत *सरकार के 26 मई, 1986 और 18/31 अगस्त, 1992 के निर्देश-यू. टी. चंडीगढ़* में ASI *पद के लिए आवेदन करने वाले संबंधित राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार-उम्मीदवार जो यू. टी. द्वारा अधिसूचित आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं हैं और उनका प्रमाणन भी यू. टी. के किसी अधिकारी द्वारा नहीं है-क्या यू. टी. में आरक्षण के आधार पर रोजगार पाने का हकदार है-* निर्धारित, *हाँ-आरक्षित श्रेणी से संबंधित व्यक्ति के बारे में किसी भी राज्य के अधिकारी द्वारा प्रमाणन यू. टी. के लिए ठीक है, जब तक कि कूटरचना या ऐसा कोई मामला न हो।*

यह निर्धारित किया गया कि भारत सरकार द्वारा 26 मई, 1986 को जारी किए गए निर्देशों को पढ़ना मामले को किसी भी विवाद से बाहर निकालता है। हो इतने शब्दों में उल्लेख किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पद पर रोजगार के संबंध में, देश के किसी भी अन्य राज्य के एससी/बीसी/एसटी वास्तव में आरक्षण के आधार पर रोजगार पाने के हकदार होंगे। इसका मतलब यह होगा कि संबंधित राज्य के एक अधिकारी द्वारा प्रमाणन को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए जब तक कि निश्चित रूप से जालसाजी या इसी तरह का कोई मामला न हो। यदि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस बात से संतुष्ट है कि किसी विशेष पदाधिकारी द्वारा किसी विशेष राज्य के एस.सी./एस.टी./बी.सी. स के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र वास्तविक है, तो परिणाम आरक्षित पद के लिए नियुक्ति देने से उत्पन्न होंगे। 1992 के बाद के निर्देश इस मामले को और स्पष्ट करते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जब यह एक राज्य के तहत रोजगार का सवाल हो तो आरक्षित श्रेणी के खिलाफ आरक्षण का लाभ एक विशेष राज्य तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के तहत रोजगार के मामले में/ केंद्र शासित प्रदेश", किसी विशेष

एस.सी./एस.टी./बी.सी. से संबंधित व्यक्ति के संबंध में किसी भी राज्य से कोई भी प्रमाण पत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए मान्य होगा।

(पैरा 5)

याचिकाकर्ताओं की ओर *से लिसा गिल, अधिवक्ता।*

आर. ए. राम, *प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के लिए अधिवक्ता।*

निर्णय

आर. एस. मोंगिया, जे. (मौखिक)

(1) वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दा यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो किसी केंद्र शासित प्रदेश (वर्तमान मामले में केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़) में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद के खिलाफ आरक्षण का लाभ चाहता है, उसे किसी केंद्र शासित प्रदेश, भारत संघ द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग में से एक होना आवश्यक है और उस संबंध में किसी विशेष केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त अधिकारी से प्रमाणन भी प्राप्त करना होगा।

(2) उपरोक्त प्रश्न वर्तमान मामले में उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें निजी प्रतिवादीगण, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता थे, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा घोषित S.C./O.B.C आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं।केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पुलिस में A.S.I पद के विज्ञापन के जवाब में, उन्होंने आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया था।उन्होंने संबंधित राज्यों के संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था कि वे एक विशेष अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं।उन्हें चुना गया और यहां तक कि चिकित्सा जांच के लिए भी भेजा गया, लेकिन इससे पहले कि उन्हें नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकते, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने यह विचार रखा कि चूंकि न्यायाधिकरण (अब प्रतिवादी) के समक्ष याचिकाकर्ता किसी भी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं थे, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित किया गया था और उनका प्रमाणन भी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के एक अधिकारी द्वारा नहीं था, वे नियुक्तियों के हकदार नहीं थे।यह उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. दायर करने के लिए , प्रेरित करता है जिसका निर्णय 23 फरवरी, 2000 के विवादित आदेश के माध्यम से उनके पक्ष में किया गया है। इसलिए वर्तमान रिट याचिका दर्ज की गई ।

(3) याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3, न्यायाधिकरण के समक्ष, सुरिंदर कुमार और राकेश कुमार को पहले केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण के आधार पर कांस्टेबल के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है और उन्हें उसी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया था वो भी अन्य राज्यों के एक विशेष पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र पर आधारित था, जिसे उन्होंने अब प्रस्तुत किया है।यह भी देखा जा सकता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता संख्या 1,2 और 3, अर्थात् सुरिंदर कुमार, जसविंदर कौर और राकेश कुमार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा अधिसूचित एक पिछड़े वर्ग से भी संबंधित हैं।

(4) देश के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, देश के किसी भी राज्य की सभी अनुसूचित जातियाँ/पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग आदि आरक्षण के

आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।इस मामले को हमें किसी भी हद तक रोके नहीं रखना चाहिए क्योंकि निजी प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 मई, 1986 और 18/31 अगस्त, 1992 को जारी किए गए दो परिपत्रों को रिकॉर्ड में लाया है।न्यायाधिकरण ने इन परिपत्रों पर सीधे विचार नहीं किया क्योंकि, शायद, इन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था, लेकिन उस निर्णय में, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा किया गया है, 26 मई, 1986 के निर्देशों पर विचार किया गया था।न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इन निर्देशों के अनुरूप है।यह 26 मई, 1986 और 18/31 अगस्त, 1992 के पूरे निर्देशों को पुनः प्रस्तुत करने के विपरीत होगाः—

"26 मई, 1986 के निर्देश

नंबर बी. सी. 12017/9/86-SC & BCD.I (Ch. प्रशासन.)

भारत सरकार/भारत सरकार

कल्याण मंत्रालय/कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 26 मई, 1986

सेवा में

गृह सचिव
चंडीगढ़ प्रशासन (गृह-1)
चंडीगढ़

विषयः अनुसूचित जाति का मुद्दा। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासियों को *अनुसूचित* जनजाति प्रमाण पत्र और लाभ/रियायतों का अनुदान-का स्पष्टीकरण।

साहब,

मुझे उपरोक्त विषय पर 28 जुलाई, 1986 के आपके पत्र संख्या 4731-आई. बी. (7)-86/14080 का उल्लेख करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार के तहत रोजगार के संबंध में अनुसूचित जातियों और किसी एक राज्य या दूसरे राज्य की अनुसूचित जनजातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है।केंद्र शासित प्रदेशों के तहत रोजगार के संबंध में भी कानूनी रूप से वही स्थिति होगी।इस प्रकार, संदर्भधीन मामले में, किसी भी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के तहत सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए लाभों और सुविधाओं का हकदार होगा।ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के आलोक में सभी मामलों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।हो सकता है कि पिछले मामले को फिर से नहीं खोला जाए क्योंकि उन मामलों को तय करने में जटिलताएं हो सकती हैं।सेवा के आगे के स्पष्टीकरण के लिए मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया जा सकता है क्योंकि वे इस विषय से निपट रहे हैं।

18/31 अगस्त, 1992 के निर्देश

जी. आई. विभाग, टेलकॉम।आई. आर. सं. 1-13-[92 एस. सी. टी.], दिनांक 18/31 अगस्त, 1992

विषयः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को उनके मूल राज्य के अलावा अन्य राज्यों में प्रवास करने के लिए स्वीकार्य आरक्षण लाभ।

मुझे 2 मई, 1975 के गृह मंत्रालय के परिपत्र संख्या 35-I/72-RU (SCT) का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है, वह केवल उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने का दावा कर सकता है, जिससे वह मूल रूप से संबंधित था, न कि उन राज्यों के संबंध में जहां वह प्रवास कर चुका है।यह अनुच्छेद केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले इस आरक्षण लाभ के संबंध में स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है।

2. इस कार्यालय में उन लोगों के लिए केंद्र सरकार में आरक्षण लाभों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो अपने मूल राज्य के अलावा अन्य राज्यों में चले गए हैं।इस संबंध में कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से स्पष्टीकरण मांगा गया था।यह पत्र संख्या 16014/1/82-SC में निहित निर्देशों के अनुसार स्पष्ट किया गया है औरबी. सी. डी.-1, दिनांक 6 अगस्त, 1984 और 22 फरवरी, 1985, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अपना दर्जा नहीं खोएगा, लेकिन वह अपने मूल राज्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकार्य रियायतों/लाभों का हकदार होगा, न कि उस राज्य से जहां वह प्रवास कर चुका है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश केवल राज्य सरकार की सेवाओं के लिए लागू हैं जो राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों आदि में स्वीकार्य हैं। केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग उन्हें स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।चूंकि दूरसंचार विभाग केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र सरकार के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य लाभ विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए भी जारी रहना चाहिए, जो अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं।

4. इस स्पष्टीकरण के अभाव में लंबित मामलों, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाना चाहिए, इस कार्यालय को सूचित किए जाने के तहत रोजगार या पदोन्नति के मामलों का निपटारा हो सकता हैं।

5. यह परिपत्र संयुक्त सचिव (ए एंड पी) और एल. ओ. की सहमति से जारी किया जा रहा है। (SCT) और सलाहकार (HRD)।"

(5) 26 मई, 1986 के निर्देशों का पढ़ना इस मामले को किसी भी विवाद से बाहर निकालता है।यह इतने शब्दों में उल्लेख किया गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पद के लिए रोजगार के संबंध में, देश के किसी भी अन्य राज्य का S.C./B.C./S.T आरक्षण *के आधार* पर रोजगार प्राप्त करने का वास्तविक रूप से हकदार होगा।इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि संबंधित राज्य के एक अधिकारी द्वारा प्रमाणन को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए जब तक कि निश्चित रूप से जालसाजी या इसी तरह का कोई मामला न हो।यदि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस बात से संतुष्ट है कि किसी विशेष राज्य के किसी विशेष पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र वास्तविक है, तो आरक्षित पद के खिलाफ नियुक्ति देकर इसके परिणाम सामने आने चाहिए।1992 (सुप्रा) *के* बाद के निर्देशों में इस मामले को और स्पष्ट किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरक्षित श्रेणी के खिलाफ आरक्षण का लाभ किसी विशेष राज्य तक ही सीमित होना चाहिए जब यह किसी राज्य के तहत रोजगार का सवाल हो, लेकिन भारत सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के तहत रोजगार के मामले में, किसी विशेष S.C./S.T./B.C से संबंधित व्यक्ति के संबंध में किसी भी राज्य से कोई भी प्रमाण पत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए उचित होना चाहिए।

(6) इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जाएगी।रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।नतीजतन, 7 जुलाई, 2000 का स्थगन आदेश अपने आप रद्द हो जाएगा।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा.